अध्याय-X: लेखापरीक्षा निष्कर्ष

ओ. ई. एफ. जी. की निष्पादन लेखापरीक्षा में, उत्पादन नियोजन, अधिप्राप्ति, सेवाओं को जी.एस. एंड सी. मदों के निर्गम गुणवत्ता नियंत्रण एवं संसाधनों का अल्प उपयोग व निर्गम हानियों आदि की कमियों पर प्रकाश डाला गया है। उत्पादन लक्ष्य के निर्धारण में, लक्ष्य निर्धारण बैठक का विलंबित आयोजन, फैक्ट्रियों से मद-वार क्षमता की विश्वसनीय सूचना के प्रवाह के बारे में ओ.ई.एफ. एच क्यू (मुख्यालय) एवं डी.जी.ओ.एस. के मध्य समन्वय का आभाव, लक्ष्यों की अस्थिरता तथा फैक्ट्रियों की क्षमता से उनके बेमेल होने जैसी प्रणाली-गत कमियाँ दृष्टिगत हुईं। मौलिक नियोजन की इन कमियों की वजह से कार्य-कलापों की श्रृंखला पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

हमने ओ.ई.एफ.जी द्वारा मंत्रालय/ओ एफ बी के अधिप्राप्ति मानकों एवं दिशा निर्देशों की अवज्ञा के मसले पर भी विशेष बल दिया। इस वजह से, भण्डार का अधिक प्रावधान, भण्डार अधिप्राप्ति हेतु खुली निविदा जांचों (ओ टी ई) के बजाय सीमित निविदा प्रणाली (एल टी ई) अपनाने से पारदर्शिता की कमी के साथ पूर्व क्रय दरों (एल पी आर) से आठ प्रतिशत के बजाय अधिक ऊँची दरों पर भण्डार अधिप्राप्ति, आपूर्ति आदेशों के प्रस्तुतीकरण अपसामान्य में चूकें, विक्रेताओं बीच गठजोड़ को समाप्त करने में विफलता आदि खमियाँ पाई गई।

इन फैक्ट्रियों द्वारा,जी.एस. एवं सी. मदों के उत्पादन एवं निर्गम में आवर्ती कमियाँ पाई गई। वाहयस्रोतीकरण के बावजूद भी, सम्पूर्ण लक्ष्य नहीं हासिल किए जा सके। इन फैक्ट्रियों को अभी भी सेवाओं एवं अर्द्ध-सैनिक बलों की सम्पूर्ण समकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, उत्पाद निष्पादन को समुन्नत करने की आवश्यकता थी।

फैक्ट्रियों में कार्यभार के अनुरूप, प्रत्यक्ष औद्योगिक कर्मचारियों (आई ई) की नियुक्ति में प्रणाली-गत कमियों से, मशीनों से एकल शिफ्ट में कार्य हुआ, नतीजतन नियमित समयोपरि भुगतान होता रहा। साथ ही सभी फैक्ट्रियों में, मशीनों के कार्य घण्टों का भारी अल्प उपयोग हुआ तथा इन फैक्ट्रियों मे अपर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण के कारण गुणवत्ता आश्वासन के स्तर पर, काफी मात्रा में सुधार हेतु वापसी (आर एफ आर) एवं तैयार मदों के अन्तिम अस्वीकृति दृष्टिगत हुई। परेषिती के स्तर पर लगातार अस्वीकृति ग्राहकों की शिकायत से, फैक्ट्रियों में गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन की विफलता उजागर होती है। उपभोक्ता की संतुष्टि एवं सुविधा की कमियों के सुधार पर जोर नहीं दिया गया।

आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ एफ बी) की मौजूदा मूल्यांकन क्रियाविधि और फैक्ट्रियों द्वारा निष्प्रभावी लागत नियंत्रण भी एक गंभीर विषय है, जिससे मांगकर्त्ताओं को निर्गमित उत्पादों में 2008-12 के दौरान प्रतिवर्ष हानियाँ हुईं, जिसकी कुल लागत ₹226.09 करोड़ है।

इस प्रतिवेदन में शीर्षस्थ स्तर पर आयुध फैक्ट्री बोर्ड (ओ एफ बी) द्वारा अपर्याप्त अनुश्रवण को प्रकाशित किया गया जिनके द्वारा वर्ष 2008-12 में आयोजित की गई बैठकों में इन फैक्ट्रियों के संचालन की त्रुटियों को न चिन्हित किया गया और न ही फैक्ट्रियों के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए सुधार की कार्रवाई करने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

मंत्रालय, ओ एफ बी एवं फैक्ट्री प्रबंधन को, सेवाओं एवं अर्द्ध-सैनिक बलों के जी एस एण्ड सी मदों की आवश्यकता के लिए बाजार के मौजूदा प्रतिस्पर्द्धात्मक रवैये का अवलोकन करना चाहिए तथा वर्तमान प्रणाली की समग्र पुनरीक्षा करनी चाहिए ताकि मौजूदा कमियों/त्रुटियों को दुरूस्त किया जा सके। प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाय ताकि ओ ई एफ जी, व्यवहार्य एवं सक्षम तरीके से कार्य कर सकें और गुणवत्ता, मात्रात्मक एवं समयबद्धता के साथ, माँगकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके एवं आवधिक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से रक्षा तैयारियां सुनिश्चित हो सके।

(सुपर्णा देब)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(आयुध निर्माणियाँ)

कोलकाता
दिनांकः

प्रतिहस्ताक्षर

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

नई दिल्ली
दिनांकः